न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 20/2024 दायरा दिनांक 25.10.2024

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. निर्मलाबाई पुत्री राधाकिशन जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला बारां, राज.
2. मुख्तारसिंह पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राज.

– अपीलान्टगण

बनाम

1. अनिता पुत्री प्रेमचन्द जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राज.
2. उर्मिलाबाई पुत्री राधाकिशन जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला– बारां राज.
3. कैलाबाई पुत्री राधाकिशन जाति मीना निवासी छतररगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राज.
4. गोविन्द पुत्र प्रेमचन्द जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला– बारां राज.
5. मुकेश पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला– बारां राज.
6. मुनिता पुत्री प्रेमचन्द जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला– बारां राज.
7. मोतीराम पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला– बारां राज.
8. सुनिता पुत्री प्रेमचन्द जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला– बारां राज.
9. सियाबाई पत्नि स्व० प्रेमचन्द जाति मीना निवासी छतरगंज तहसील किशनगंज जिला– बारां राज.
10. तहसीलदार, किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां, राज.

– रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

श्री सतीश शर्मा . :– अभिभाषक, अपीलान्टगण
श्री हरीश चौधरी :– अभिभाषक, रेस्पोडेण्टगण

अपील निरस्त किये जाने नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 20.10.2021 ग्राम छतरगंज, तहसील किशनगंज

निर्णय **दिनांक 11.03.2025**

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 20.10.2021 ग्राम छतरगंज को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि :–

नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 20.10.2021 वांके ग्राम छतरगंज पटवार हल्का छतरगंज नायब तहसीलदार नाहरगढ द्वारा तस्दीक किया गया है, नामान्तरण अनुसार अपीलान्टगण की सहखातेदारी की खाता सं० 153 की कुल आराजी 5.0000 हैक्टेयर में हिस्सा 2/7 पर अपीलान्ट क्रम 1 का नाम नीमाबाई पुत्री राधाकिशन एवं अपीलान्ट क्रम 2 का नाम मुख्तार पुत्र राधाकिशन गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट क्रम 1 का नाम निर्मलाबाई पुत्री राधाकिशन एंव अपीलान्ट क्रम 2 का नाम मुख्तारसिंह पुत्र राधाकिशन है इसलिये इन्तकाल संख्या 22 दिनांक 20.10.2021 खिलाफ कानून होने से निरस्त करने योग्य है।

यह कि वस्तुस्थिति इस प्रकार है ग्राम छतरगंज पटवार हल्का छतरगंज तहसील किशनगंज जिला–बारां राज० की उक्त वर्णित आराजी खाता सं० 153 में अपीलान्टगण द्वारा अपना नाम शुद्ध करवाने

हेतु तहसीलदार किशनगंज के यहां भी कई बार आवेदन प्रस्तुत किये गये किन्तु आज दिन तक उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में अपीलान्टगण का नाम शुद्ध नहीं किया गया है तथा उक्त इन्तकाल सं0 22 को खारिज करवाकर नवीन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा गया है।

यह कि इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलान्ट द्वारा अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति आवेदन के साथ दी गई थी, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्टगण का नाम गलत अंकित कर नामान्तरण सं० 22 तस्दीक किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिये नामान्तरकरण सं० 22 आरम्भतः प्रभावहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

यह कि नायब तहसीलदार नाहरगढ द्वारा विधि के मान्य सिद्धान्तों से विपरीत नामान्तरण तस्दीक किये जाने से नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 20.10.2021 आरम्भत शून्य होने से निरस्तनीय है 05.09.2024 को हल्का पटवारी जी से जानकारी करने पर हुई तो उसी दिन नकल निर्णय प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नकल दिनांक 05.09.2024 को मिलने उपरान्त अपील अवधि मध्य पेश है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण क्रम 1 ता 9 की ओर से निम्न जबाब पेश है :–
यह कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेण्टगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा दोनों के संयुक्त स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 153 कुल खसरे 5 कुल रकबा 5.0000 हैक्टेयर ग्राम छतरंगज पटवार हल्का छतरगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राजस्थान) में स्थित है अपीलान्ट के पिता राधाकिशन की मृत्यु होने पर नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 20.10.2021 ग्राम छतरगंज तस्दीक किया गया, जिसमें अपीलान्ट क्रम 1 निर्मलाबाई का नाम गलती से नीमाबाई दर्ज कर दिया गया तथा अपीलान्ट क्रम 2 का नाम मुख्तारसिंह के स्थान पर मुक्तार दर्ज कर दिया गया जबकि समस्त दस्तावेजात में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम निर्मलाबाई एवं अपीलान्ट क्रम 2 का नाम मुख्तारसिंह दर्ज है, अपीलान्ट द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम निर्मलाबाई पुत्र राधाकिशन एवं मुख्तारसिंह पुत्र राधाकिशन दर्ज किये जाने में हम रेस्पोडेण्टगण को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्टस के पिता राधाकिशन का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 9 मृतक राधाकिशन के वारिस है। राधाकिशन की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करते समय नायव तहसीलदार नाहरगढ़ द्वारा अपीलान्ट क्रम 1 का नाम निर्मलाबाई के स्थान पर नीमाबाई व अपीलान्ट क्रम 2 का नाम मुख्तारसिंह के स्थान पर मुक्तार दर्ज किया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने बताया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम निर्मलाबाई के स्थान पर नीमाबाई व अपीलान्ट क्रम 2 का नाम मुख्तारसिंह के स्थान पर मुक्तार गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्टक्रम 1 का नाम निर्मलाबाई व अपीलान्ट क्रम 2 का नाम मुख्तारसिंह वास्तविक नाम है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम छतरगंज का इंतकाल नं. 22 दिनांक 20.10.2021 निरस्त किया जाता है तथा नायव तहसीलदार नाहरगढ़ के प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्टगण के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 22 निर्णय दिनांक 20.10.2021 की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)